भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 609
गुरूवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)

ई-कॉमर्स डार्क स्टोरों में खराब कार्यदशा

609 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई-कॉमर्स के "डाक स्टोर्स" में कार्यरत श्रमिक को प्रतिकूल कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें लंबे कार्य घंटे, शौचालय एवं विश्राम कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव तथा निश्चित रोजगार लाभों की कमी शामिल है;
(ख) क्या यह सच है कि केवल 30-40 प्रतिशत डार्क स्टोर्स ही आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं;
(ग) क्या सरकार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता,2020 के प्रावधानों के अंतर्गत डार्क स्टोर्स में कार्य-स्थितियों के विनियमन तथा वहाँ कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत सरकार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा (ओएसएचएंडडब्ल्यूसी) संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई है। यह संहिता दस या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य दशाओं और कार्यस्थल के वातावरण को विनियमित करती है।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा (ओएसएचएंडडब्ल्यूसी) संहिता, 2020 में दस या इससे अधिक कामगारों वाले किसी भी प्रतिष्ठान में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य कार्यदशाएँ सुनिश्चित करने का अधिदेश समुचित सरकार को दिया गया है| तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार डार्क स्टोरों में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य दशाएँ सुनिश्चित करने के लिए समुचित सरकार है।